|1|2020

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल।

क्रि0मि0 वाद सं0– 448/2019
प्रथम पक्ष– अमर कुमार साहा
बनाम
द्वितीय पक्ष– नजरूल शेख वगै0
दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही

आदेश

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। जिससे संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्ररम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	तौजी नं0	ज0नं0	रकवा	चौहद्दी			
				उ0	द0	पु0	प0
विरामपुर	02	253	03–01–02 के अन्दर 02–00–16	नीज	आनेश मोमीन	महफूज अंसारी	दिजेन यादव
	03	227	01–13–03	नीज	नजरूल शेख	पोखर	नीज

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा विरामपुर के जमाबंदी नं0– 02 एवं 03 में अवस्थित जमीन आवेदक के दादा अमृत लाल साहा दीगर के नाम से बिते गेंजर खतियान में दर्ज है। जमाबंदी नं0– 02, दाग नं0– 253, कुल रकवा 03 बीघा 01 कट्ठा 02 धूर एवं जमाबंदी नं0– 03, दाग नं0– 227, कुल रकवा 01 बीघा 13 कट्ठा 18 धूर जमीन, जो सभी गोतिया के दखल भोग में चला आ रहा है तथा इसमें आवेदकगण के द्वारा सरना धान लगाये हुए है, जो फुट गया है। जिसपर विपक्षी सं0 01 नजरूल शेख के द्वारा जमाबंदी नं0– 02, दाग नं0– 253, रकवा 02 बीघा 16 धूर में लगे धान के फसल को लूटपाट करने की धमकी दे रहा है तथा जमाबंदी नं0– 03, दाग नं0– 227, रकवा 01 बीघा 13 कट्ठा 18 धूर जमीन में लगे धान के फसल को विपक्षी सं0 02 के द्वारा लुटने की धमकी दे रहा हैं। जबकि विपक्षीगण के पास कोई वैध कागजात नहीं है। आवेदक के पास वैध कागजात है एवं सरकार को अद्यतन लगान अदा कर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। विपक्षीगण काफी मनबढ़ू किस्म का आदमी है तथा धन बल के आधार पर जमीन को हडपने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी सं0 01 के द्वारा दिनांक 03.02.2002 एवं विपक्षी सं0 02 के द्वारा दिनांक 25.11.2019 को अपने मजदूरों के सहायता से आवेदक के जमीन में लगे धान के फसल को काट लिया है। जिसका विरोध आवेदक के द्वारा करने पर विपक्षीगण आवेदक को जान से मारने की धमकी देते है। जिससे सार्वजनिक शांति भंग की संभावना उत्पन्न हो गयी है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

जवाब में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई जमीन है। जिसपर द्वितीय पक्ष का भोग दखल है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त जमीन पर सरना धान का फसल लगाया गया है, जो पक कर कटने योग्य हो गया है। फसल समय पर नहीं काटने पर द्वितीय पक्ष को आर्थिक क्षति होगी। अतएव द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त फसल को काटने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

Scanned with CamScanner

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। मौजा विरामपुर के जमाबंदी नं0– 02, दाग नं0– 253, रकवा 03 बीघा 01 कट्ठा 02 धूर के अन्दर 02 बीघा 16 धूर एवं जमाबंदी नं0– 03, दाग नं0– 227, रकवा 01 बीघा 13 कट्ठा 03 धूर रैयती जमीन द्वितीय पक्ष के दखल में है। जिसपर द्वितीय पक्ष के द्वारा धान का फसल लगाया गया है। उक्त वर्णित जमीन से संबंधित द्वितीय पक्ष के पास किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं दाखिल किया गया है। जिससे सार्वजनिक शांति भंग की संभावना द्वितीय पक्षों से बनी हुयी है।

अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी
राजमहल